

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, एवं जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जिला-नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष नं०-07781-252310 (फैक्स) 252310 email id : rmsa.narayan@gmail.com

क्रमांक / 730 / समग्र शिक्षा / स्था० / समावेशी शिक्षा / 2022-23

नारायणपुर, दिनांक 11 / 08 / 2022

-: स्पेशल एजुकेटर (समावेशी शिक्षा) का विज्ञापन:-

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र.1087/SS/24/14/सेकेडरी 2021-21 रायपुर दिनांक 04.07.2021 के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित हैं, जिसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं) अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदों की निर्धारित मानदेय 20,000/- प्रतिमाह की दर से 03 माह हेतु कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं।

जिला नारायणपुर हेतु स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

जिला नारायणपुर हेतु स्वीकृत पदों का जानकारी निम्नानुसार है :			
क्र.	जिला	विकासखण्ड	स्पेशल एजुकेटर के स्वीकृत पदों की संख्या
1	नारायणपुर	नारायणपुर	1
2		ओरछा	1
योग :-			2

भर्ती हेतु रिक्त पद का विवरण :-

क्र.	पदनाम	प्रतिमाह मानदेय	स्वीकृत पद	अ0ज0जा0			अ0जा0			अ0पि0व0			अनारक्षित			योग		
				मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग
1	स्पेशल एजुकेटर	20,000	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
योग :-				2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2


उपरोक्तानुसार स्पेशल एजुकेटर के पद पर 03 माह के लिए अस्थाई नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु दिनांक 15.08.2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। भर्ती एवं पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं संबंधी विस्तृत जानकारी www.narayanpur.gov.in में प्राप्त की जा सकती है।

शैक्षणिक/अन्य अर्हताएं :-

- स्नाकोत्तर के साथ बी.एड (विशेष शिक्षा) में अथवा स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (सामान्य) के साथ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।
- बी.एड. (विशेष शिक्षा)/ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में विशेष शिक्षा से आशय है कि -दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, बौद्धिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, सेरेब्रल पाल्सी, बधिरांधता में से कम से कम किसी एक विषय में भारतीय पुनर्वास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) होना चाहिए।
- आवेदक का जीवित पंजीयन भारतीय पुनर्वास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीयन अनिवार्य है।
- छत्तीसगढ़ के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त शासन के प्रचलित नियमानुसार वर्गवार आयु सीमा में छूट दी जावेगी।

नियम एवं शर्तें :-

- उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।



- अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी। और सेवा वगैर पूर्व सूचना के स्वयं समाप्त मानी जावेगी।
- आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
- चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदन को औपचाहरक सूचना नहीं दी जावेगी।
- समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
- इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रु. 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रु. मात्र) प्रति माह दिया जावेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

- भर्ती एवं पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं योग्य इच्छुक अभ्यर्थी जिला सूचना केन्द्र (NIC) नारायणपुर की वेबसाइट www.narayanpur.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन का प्रिन्ट प्राप्त करें।
- आवेदन के सभी कॉलम को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भरें।
- पासपोर्ट साइज की फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा स्वप्रमाणित करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता (10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड./डी.एड. विशेष शिक्षा) /अन्य को स्वप्रमाणित कर संलग्न करें।
- छ0ग0 का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हो तो स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- संलग्न प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में उल्लेखित क्रम में संलग्न किया जाना अनिवार्य हैं।
- आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, जिला नारायणपुर छ0ग0 पिन कोड 494661 के नाम से स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्रेषित किया जावें। कार्यालय में सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आवेदक को लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- अपूर्ण आवेदन निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15.08.2022 समय अपराह्न 05:00 बजे निर्धारित हैं। स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् कार्यालय को प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

चयन प्रक्रिया:-


1. निर्धारित योग्यता स्नातकोत्तर का 50 प्रतिशत एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) 50 प्रतिशत
2. स्नाकोत्तर का 50 प्रतिशत, बी.एड (सामान्य) 25 प्रतिशत के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में 25 प्रतिशत।
3. निर्धारित तिथि 15.08.2022 को अपराह्न 05 बजे तक प्राप्त आवेदन की स्कूटनी की जावेगी। स्कूटनी के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बिन्दु 1 व 2 के आधार पर तैयार की जायेगी।
4. मेरिट के आधार पर पात्र 02 विज्ञापित पद के विरुद्ध 50 अभ्यर्थियों को अधिकतम (1:10) दस्तावेज सत्यापन के लिये आमंत्रित किया जावेगा।
5. दस्तावेजी सत्यापन में सही पाये जाने पर मेरिट के आधार पर, आरक्षण रॉस्टर का पालन करते हुये 02 अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।

6. जिले के दोनों विकासखण्ड नारायणपुर/ओरछा में एक-एक स्पेशल एजुकएटर के रूप में निर्धारित अवधि 03 माह के लिये नियुक्त किया जावेगा।


स्पेशल एजुकएटर का कार्य दायित्व :-

1. विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगजावार डाटा रखना।
2. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।
4. इन बच्चों के पालकों को समय-समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना।
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे - छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्कार्ट-ट्रांसपोर्ट, रीडर एलाउन्स, बालिका शिष्यवृत्ति आदि।
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना।
7. विभिन्न विभागों व एनजीओ से सम्पर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना।
8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना, जिससे बच्चों में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल्यांकन कर सके।
9. शालाओं में पियर्स ग्रुप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सकें।
10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना।
11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयार करना।
12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत संपर्क में रहना।
13. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना।
14. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।
15. जनभागीदारी समिति (SMS/SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिये निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना।
16. रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हे थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थैरेपी प्रदान करने में सहयोग करना था इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना/जागरूक करना/सहयोग देना।
17. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिये प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला/जनभागीदारी समिति/पालक को देना।
18. सामान्य शिक्षकों को ब्रेल-लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यांगता, चेक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित वातावरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना।
19. समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सतत संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना।
20. प्रत्येक संकुल को कवर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।
21. इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य एवं जिला स्तर पर दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, जिला नारायणपुर छ0ग0

1. कलेक्टर, जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (NIC) नारायणपुर को सूचनार्थ कर उपरोक्त विज्ञापित को छ0ग0शासन (cg.gov.in) एवं www.narayanpur.gov.in के वेबसाइट में अपलोड कर एक स्क्रीनशॉट की प्रति सहित अपलोड किये जाने की जानकारी लेख करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।
4. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला नारायणपुर की ओर सूचनार्थ कर लेख हैं कि 'दैनिक पत्रिका' में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।


 जिला शिक्षा अधिकारी

सह जिला परियोजना अधिकारी

समग्र शिक्षा, जिला नारायणपुर छ0ग0